विचार बिन्दु

जो निर्बलों पर दया नहीं करता, उसे बलवानों के अत्याचार सहने पड़ेंगे। –शेख सादी

न्याय व्यवस्था की लेखा परीक्षा करती एक जरूरी रिपोर्ट

आम आदमी के जीवन से सरोकार रखने वाली बहसें लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखती हैं। न्याय प्रणाली के बारे में ऐसी बहसें शीघ्र न्याय प्रदान करने के लिए समयबद्ध समाधान खोजने को भी प्रेरित करती हैं। न्यायिक संस्था में आम जन का विश्वास तभी बना रह सकता है जब न्याय में देरी न हो। ऐसा न हो कि कोई नौजवान न्याय के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाए और अदालत का अंतिम फैसला आए तब तक वह बूढ़ा हो जाए। न्याय मिलने में अत्यधिक देरी के परिणामस्वरूप नागरिकों द्वारा कानून अपने हाथ में ले लेने की खबरें भी मिलती हैं। किसी भी अन्य संस्था की तरह न्याय प्रणाली को भी स्वतंत्र मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। हाल ही में 'टाटा ट्रस्ट्स' के सहयोग से 'इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025' जारी हुई है। न्याय प्रदान करने की प्रणाली का स्वतंत्र लेखा परीक्षण का कार्य कर रही सभ्य समाज की एक संस्था की यह रिपोर्ट है। इसमें न्याय व्यवस्था के सभी अंगों का समावेश है जैसे पुलिस और जेल प्रशासन व अभियोजन, क्योंकि ये सभी मिल कर न्याय प्रणाली बनाती हैं। यह रिपोर्ट एक कठोर मगर निर्विवाद सत्य को उजागर करती है कि हमारी न्याय प्रदान करने की प्रणाली अब भी अपने जनादेश को पूरा करने से बहुत दूर है। रिपोर्ट की प्रामाणिकता यह है कि अपने निष्कर्ष पर पहुंचने में वह पूरी तरह सरकार के ही आंकड़ों पर आधारित साक्ष्य पर निर्भर करती है। यह परीक्षण इस सर्वज्ञात वास्तविकता से फिर रूबरू कराता है कि संविधान में नागरिकों से किया गया कानून के जरिए समान न्याय का वादा अब भी पूरा होना बाकी है, वैसे ही जैसे सब बालकों को समान शिक्षा देने का वादा। रिपोर्ट में प्रस्तुत डेटा हमारी न्याय प्रणाली के प्रबंधन में रुचि रखने वालों के लिए यह बुनियादी सवाल उठाने का प्रयास करता है कि हम अपनी जड़ता के चक्र को कैसे तोड़ें तथा सुधार की राह पर कैसे आगे बढ़ने के लिए कदम बढ़ाएं। इस साल की रिपोर्ट हमें समस्या की पहचान करने को प्रेरित करती है। इसमें जो मूल थीसिस उभर कर आती है, वह सिस्टम में बैठे लोगों की आलोचना नहीं है। यह रिपोर्ट मानती है कि सिस्टम में बैठे लोगों को बहुत लंबे समय से स्वतंत्र रूप से कार्य करने की उनकी अंतर्निहित क्षमताओं से वंचित किया जाता रहा है। सिस्टम के भीतर सेवा देने वाले व्यक्ति अक्सर खुद को उन्हीं संरचनाओं से जूझते हुए पाते हैं जिन्हें बनाए रखने के लिए उन्हें बनाया गया है। सच्ची संस्थागत ताकत व्यक्तियों की क्षणभंगुर प्रतिभा या क्षणिक नवाचारों पर निर्भर नहीं हो सकती। वह तभी सुनिश्चित होती है जब आम लोगों के कौशल और प्रतिभा को उभार कर उन्हें एक मजबूत ढांचे में अपना योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया जाय, जो व्यक्तिगत योगदान से परे हो।

एक अच्छी तरह से काम करने वाली न्याय प्रणाली लचीलेपन, पूर्वानुमान और निष्पक्षता को प्राथमिकता देती है। इसी से असाधारण कौशल की नियमित दक्षता सुनिश्चित होती है। यह केवल इच्छाशक्ति पर निर्भर नहीं हो सकती। व्यक्तिगत योगदान से परे निरंतर, सुसंगत प्रदर्शन के लिए डिज़ाइन किये जाने से ही ऐसा हो सकता है। सही मायने में प्रभावी न्याय प्रणाली को एक स्पष्टस्वतंत्र दृष्टि और अडिग मूल्यों का आधार तैयार करना पड़ता है। भारतीय संविधान में इसकी व्यवस्था मौजूद हैं। संविधान के सिद्धांतों की न्याय प्रणाली के हर पहलू में व्याप्त होने की सबकी अपेक्षा रहती है। न्याय प्रणाली की रैंक में प्रवेश करने वाले सभी लोगों के प्रशिक्षण का यह अनिवार्य हिस्सा होनी चाहिए जिससे उनका अभिविन्यास वैसा बने जिसकी परिकल्पना संविधान में मौजूद है। किसी व्यक्तिगत दृष्टि से परे, प्रणाली में अच्छी तरह से परिभाषित संरचनाएं और प्रक्रियाएं होनी चाहिए, जो नियमितता, पूर्वानुमेयता, पहुंच, जवाबदेही तथा पारदर्शिता सुनिश्चित करती हो और वास्तविक भागीदारी को बढ़ावा देती हो। न्याय प्रणाली को उस विविध आबादी का प्रतिनिधित्व करना होता है जिसकी सेवा के लिए उसका गठन हुआ है। उसे उन उद्देश्यों तथा विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना जरूरी है जिनके लिए यह प्रणाली बनाई गई। महत्वपूर्ण रूप से यह व्यक्तिगत आधारित प्रयास नहीं होना चाहिए बल्कि एक समान प्रणाली–आधारित प्रयास होना चाहिए। आयोग, सरकारऔर नागरिक समाज के अलावा खुद न्यायालय देश की न्याय प्रणाली पर मुकदमों के बढ़ते बोझ का विश्लेषण करते आए हैं। वहीं न्याय पाने के लिए अदालतों में भटक रहे वादी–प्रतिवादी प्रतिदिन इस प्रणाली की जटिलताओं से झूंझते हैं। व्यवस्था ठीक करने के नुस्खों, सिफारिशों और प्रस्तावित समाधानों की लंबी फेहरिस्त है। फिर भी समस्या बनी हुई है, क्योंकि न्याय प्रणाली अलग–थलग नहीं है, वह एक व्यापक शासन ढांचे के भीतर बनी हुई है। वह राजनीतिक, वित्तीय और प्रशासनिक ताकतों के भी अधीन है जो इसके प्रदर्शन की नियति तय करते हैं। इसलिए, इसे सुधारने के लिए सिफारिशों की एक सूची बना देने से समाधान नहीं निकलने वाला है। इसके लिए निरंतर दबाव, राजनीतिक इच्छाशक्ति और बदलाव को प्रोत्साहित करने वाली एक स्पष्ट रणनीति की आवश्यकता है। सम्पूर्ण शासन तंत्र की उप–प्रणालियों में ऐसे उपायों की पहचान करनी होगी जो कागजी सिफारिशों को मूर्त, व्यावहारिक परिणामों में बदल सकें। 'इंडिया जस्टिस रिपोर्ट' इस बात का उदाहरण है कि किस तरह कठोर, डेटा–संचालित आकलन सुधार के लिए उत्प्रेरक का काम कर सकते हैं। यह रिपोर्ट समय के साथ राज्य के प्रदर्शन पर नज़र रखकर, यह ऐसे बेंचमार्क का उपयोग करती है जो नीतिगत निर्णय लेने का मार्ग प्रशस्त कर सकती है और उसके लिए सार्वजनिक चर्चा को आकार दे सकती है। यह रिपोर्ट पारदर्शिता और तुलनात्मक रैंकिंग देती है जो विभिन्न राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा कर सकती है, जिससे उन्हें अपनी स्थिति सुधारने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। इन अंतर्दृष्टियों को ज़मीनी स्तर पर लाने के लिए नागरिक समाज, शिक्षाविद् और मीडिया इसमें एकत्रित डेटा का उपयोग कर सकते हैं। न्यायालयों, आयोगों और नीति निर्माताओं को इस रिपोर्ट की जानकारी को केवल एक अकादमिक अभ्यास के रूप में नहीं बल्कि वास्तविक जीवन को प्रभावित करने वाले सुधारों को आगे बढ़ाने के उपकरण के रूप में लेना चाहिए। रिपोर्ट का ध्यान एक ही चुनौती पर है कि न्याय संस्थानों के पास संसाधनों की कमी है। चाहे वह पांच करोड़ लंबित मामलों के बोझ तले दबी न्यायपालिका हो, बड़ी संख्या में रिक्त पदों पर काम कर रहे पुलिस विभाग हों या पुनर्वास के बजाय रोकथाम के लिए बनाई गई जेलें हों, वास्तविकता निराशाजनक है।

समग्र सुधार की व्यवस्था के लिए सभी घटकों-पुलिस, न्यायपालिका, कानूनी सहायता, बचाव और अभियोजन पक्ष के वकील, जेल, फोरेंसिक जांच संस्थाएं और मानवाधिकार आयोगों को एक साथ मजबूत किया जाना जरूरी है। व्यवस्था चलाने वालों की सहमति के बिना कोई भी सुधार सफल नहीं हो सकता।

पिछले कुछ वर्षों में बजट आवंटन में वृद्धि हुई है, फिर भी उनका उपयोग अपर्याप्त है। संरचनात्मक अक्षमताओं पर ध्यान दिए बिना, केवल खर्च में वृद्धि से बेहतर परिणाम नहीं मिल सकते। क्षमता को ठीक करना वास्तव में सफलता के लिए एक आवश्यक कदम है – लेकिन यह अकेला पर्याप्त नहीं है। परिवर्तन की संभावना तब सबसे अधिक होती है जब प्रोत्साहन ठोस होते हैं। प्रदर्शन से जुड़ी फंडिंग, अच्छी तरह से काम करने वाली संस्थाओं के लिए मान्यता, अच्छा नेतृत्व, जवाबदेही तंत्र, उपयोगकर्ता, तथा नागरिक ऑडिट के माध्यम से मिले फीडबैक सभी सुधार के प्रेरक बनते हैं। उदाहरण के लिए, जो राज्य न्यायिक रिक्तियों, पुलिस प्रशिक्षण या जेल पुनर्वास कार्यक्रमों में सुधार प्रदर्शित करते हैं, उन्हें अतिरिक्त वित्तीय सहायता से पुरस्कृत किया जा सकता है। इसी तरह, संस्थानों के भीतर व्यक्तिगत अभिविन्यास और जवाबदेही – बेहतर प्रशिक्षण और पारदर्शी मूल्यांकन प्रणालियों, सेवा की गुणवत्ता से जुड़ी पदोन्नति से सकारात्मक परिणामों को प्रोत्साहित किया जा सकता है। यह भी स्पष्ट है कि अपराध की जांच और कानून और व्यवस्था दो अलग–अलग विषय हैं जिनके लिए अलग–अलग योग्यता और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। अपराधों की वैज्ञानिक जांच समय की मांग है। सुधार टुकड़ों में नहीं हो सकता। न्याय अलग–अलग नहीं बल्कि परस्पर निर्भर संस्थाओं के नेटवर्क के माध्यम से दिया जाता है। यदि पुलिस बल में कम कर्मचारी और अप्रशिक्षित हैं तो न्यायालय कुशलता से काम नहीं कर सकते। यदि कानूनी सहायता अप्रभावी है तो जेल पुनर्वास नहीं कर सकते। दोषी कैदियों के मुकाबले विचाराधीन कैदियों की बड़ी संख्या इस समस्या का प्रतिबिंब है। समग्र सुधार की व्यवस्था के लिए सभी घटकों–पुलिस, न्यायपालिका, कानूनी सहायता, बचाव और अभियोजन पक्ष के वकील, जेल, फोरेंसिक जांच संस्थाएं और मानवाधिकार आयोगों को एक साथ मजबूत किया जाना जरूरी है। व्यवस्था चलाने वालों की सहमति के बिना कोई भी सुधार सफल नहीं हो सकता। न्यायपालिका, सरकार और सिविल सेवाओं का नेतृत्व करने वालों को बदलाव लाने, जोखिम उठाने और यथास्थिति को चुनौती देने के लिए तैयार रहना चाहिए। जनता के दबाव की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। न्याय सुधार इतना महत्वपूर्ण है कि इसे केवल संस्थाओं पर नहीं छोड़ा जा सकता, इसे एक सामाजिक मांग बनना चाहिए। इसका मतलब यह है कि इस बात को व्यापक मान्यता मिलनी चाहिए कि न्याय प्रदान करना केवल नैतिक अनिवार्यता नहीं है, बल्कि राष्ट्र की आर्थिक प्रगति, सामाजिक शांति, तीव्र विकास और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण मार्ग है। भारत न्याय रिपोर्ट इस आवश्यक संवाद के लिए एक महत्वपूर्ण उत्प्रेरक के रूप में काम कर सकती है। यह रिपोर्ट केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं है। यह कार्रवाई का आव्हान है। इसके निष्कर्ष हमारी न्याय प्रणाली की वास्तविकता को दर्शाते हुए एक दर्पण और एक रोडमैप दोनों देती हैं। साथ ही वे आगे का रास्ता भी सुझाती हैं। हमारे सामने सवाल यह है कि क्या हम इस ज्ञान का उपयोग बदलाव लाने के लिए करेंगे या निष्क्रियता के एक और चक्र को पनपने देंगे। हमारे सामने जो स्पष्ट है वह है कार्य करने की इच्छाशक्ति।

–अतिथि संपादक,
राजेन्द्र बोड़ा
(वरिष्ठ पत्रकार एवं विश्लेषक)

डिजिटल इंडिया के आर्किटेक्ट और सूचना तकनीक दूरसंचार क्रांति के जनक एवं पंचायती राज के सशक्तिकरण के प्रणेता राजीव गांधी

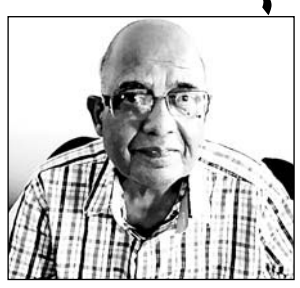

डॉ. जे.के. गर्ग

प्रधानमंत्री रहते हुए स्व गांधी ने कई महत्वपूर्ण काम किए, जिन्होंने देश के विकास को नई दिशा प्रदान की। राजीव गांधी को डिजिटल इंडिया का आर्किटेक्ट और सूचना तकनीक और दूरसंचार क्रांति का जनक कहा जाता है। राजीव गांधी ने अगस्त 1984 में भारतीय दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना के लिए सेंटर पार डिवेलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स की स्थापना करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस पहल से शहर से लेकर गांवों तक दूरसंचार का जाल बिछना शुरू हुआ, जगह–जगह पीसीओ खुलने लगे। जिससे गांव की जनता भी संचार के मामले में देश–दुनिया से जुड़ सकी। फिर 1986 में राजीव की पहल से ही एमटीएनएल की स्थापना हुई, जिससे दूरसंचार क्षेत्र में और प्रगति हुई।

स्व. गांधी मानते थे कि युवा पीढ़ी ही भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में अहम भूमिका निभाएगा, इसके लिए उनको कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और विज्ञान की शिक्षा देना जरूरी है। कंप्यूटर की कीमतें घटाने के लिए राजीव ने इसे सरकारी नियंत्रण से बाहर निकल दिया और असेंबल कंप्यूटर का आयात शुरू किया। बड़ी टेलीकॉम कंपनी एमटीएनएल और बीएसएनएल की शुरुआत उनके कार्यकाल में ही हुई। राजीव ने ही पंचायती राज अधिनियम के माध्यम से केन्द्रीकृत सत्ता का विकेंद्रीकरण करके पंचायतों को कई महत्त्वपूर्ण और वित्तीय अधिकार दिये थे। अयोध्या में विवादित स्थल का ताला खुलवाया। उन्होंने सनातनधर्मीयों की नाराजगी को दूर करने के लिए अयोध्या के विवादित स्थल का ताला खुलवा दिया और 1989 में राम मंदिर के निर्माण के लिए शिलान्यास की इजाजत भी दे दी।

युवाओं को रोजगार देने के लिए जवाहर रोजगार योजना को शुरू किया था। राजीव ने 1986 की शिक्षा नीति के तहत ग्रामीण क्षेत्र के लाखों बच्चों को सर्वोत्तम शिक्षा देने के उद्देश्य से जवाहर नवोदय स्कूल प्रारम्भ किये है और आज तो स्थिति ऐसी है कि शहरी क्षेत्र के बच्चे भी नवोदय स्कूलों में प्रवेश ले रहे हैं।

इंदिरा गांधी एवं फिरोज गांधी के ज्येष्ठ पुत्र राजीव का जन्म 20 अगस्त 1944 को मुंबई में हुआ था। राजीव गांधी बचपन में बहुत ही संकोची स्वभाव के थे। जब वे दून स्कूल में पढ़ रहे थे, तब उनके नाना पंडित जवाहरलाल नेहरू पहली बार उनसे मिलने स्कूल पहुंचे तो राजीव बाथरूम की बास्केट में छिप गए थे। राजनीति में आने से पहले राजीव गांधी एयरलाइंस में पायलट की नौकरी करते थे। राजीव का पूरा नाम राजीव रत्न गांधी था उनका यह नाम उनके नाना नेहरूजी ने रखा क्योंकि नेहरू जी की पत्नी का नाम कमला था और राजीव का मतलब कमल होता है कमला की याद को ताजा बनाए रखने के लिए नेहरू जी ने राजीव नाम रखा था। राजीव गांधी संगीत प्रेमी थे, उनको पश्चिमी संगीत के साथ हिन्दुस्तानी शास्त्रीय एवं आधुनिक संगीत पसंद था। लन्दन में राजीव गांधी की मुलाकात एड्विगो मानिओ से हुई थी। 1968 में राजीव गांधी ने उनसे शादी कर ली और उनका ये नाम बदलकर सोनिया गांधी रखा गया। राजीव और सोनिया के पुत्र और पुत्री राहुल और प्रियंका है।

राजीव गांधी का स्वभाव स्नेहमय सहनशील और सरल था वे जन्म से ही दयालु और करुणा मय व्यक्ति थे स्वर्गीय राजीव गांधी एक ऐसे इंसान थे, जिन्होंने ज़मीन पर ही नहीं, किन्तु जनमानस के ह्रदय पर भी राज किया। स्व. राजीव गांधी ही वो इंसान थे जिन्होंने उन्नीसवीं सदी में इक्कीसवीं सदी के भारत का सपना देखा था। स्वभाव से धीर–गंभीर किन्तु आधुनिक सोच एवं तार्किक क्षमता के धनी राजीव ने बीसवीं सदी में ही हिन्दुस्तान को 21वीं सदी का उन्नत राष्ट्र बनाने का सपना संजोया था।

दूरदर्शी युवा राजीव का सपना था कि भारत एक मजबूत, आत्मनिर्भर, स्वावलंबी और मानवता की सेवा करने वाला दुनिया का अग्रणी राष्ट्र बने। राजीव कहते थे कि हमारे देश की एकता और अखंडता से बढ़कर कुछ भी नहीं है। भारत अविभाज्य है। भारत के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कठोर विभाजन भारत का विलुप्त होने वाला वर्गीकरण है जो स्थानीय स्वशासन के लिए औपनिवेशिक शासन व्यवस्था की सबसे बुरी विरासत है। राजीव भारत को 21वीं सदी की दहलीज पर पहुंचना चाहते थे, वो देश को गरीबी के बोझ से मुक्त कराकर विरासत, और हमारे लोगों की बढ़ती आकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम बनाना चाहते थे। लोकतांत्रिक तरीके से राष्ट्र निर्माण के लिए जरूरी है धैर्य, सतत प्रयास और मेल–मिलाप की भावना। हर व्यक्ति को इतिहास से सब लेना चाहिए। हमें चाहिए कि देश में कहीं भी आंतरिक कलह और संघर्ष होता है, तो देश कमजोर होता है। इस कारण, बाहर से खतरा बढ़ जाता है। क्या हमारा लक्ष्य जातिविहीन समाज है? यदि हमारा लक्ष्य, एक जातिविहीन समाज है, तो निश्चित रूप से हमारा हर कदम उस उद्देश्य की ओर होना चाहिए। किसानों के कमजोर होने से देश का स्वावलंबन खत्म हो जाता है। लेकिन, यदि वे मजबूत होते हैं तो देश की आजादी भी मजबूत होती है। वे देश की कंप्यूटर क्रांति के जनक के रूप में भी जाने जाते हैं। रेलवे का कम्प्यूटरीकरण करके उन्होंने इस देश के सामने क्रांतिकारी परिवर्तन करके रख दिया।

40 वर्ष की अल्पआयु में ही में राजीव गांधी विशाल जनादेश के साथ भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बन गये थे। उस चुनाव में कांग्रेस को 508 में से रिकॉर्ड 401 सीटें प्राप्त हुई थी। स्मरणीय रहे कि राजीव गांधी राजनीति में आने अनिच्छुक थे किन्तु उनके छोटे भाई संजय की अकाल मृत्यु की वजह से परिस्थतीयां ऐसी बनी कि उन्हें राजनीति में जबरन प्रवेश करना पड़ा। राजीव गांधी को अपने नाना नेहरु की तरह सुरक्षाकर्मियों का घेरा बिलकुल पसंद नहीं था।

वे अपनी जीप और कार खुद ड्राइव करना पसंद करते थे। राजीव गांधी को अपने नाना से आराम हराम है और अपने पिता से अपना काम खुद करो की प्रेरणा मिली थी। विकास को पसंद करने वाले युवा राजीव गांधी ने अपने मन में भारत को मजबूत, आत्मनिर्भर और तकनीकी विकास के मार्ग तेज रफ्तार से दौड़ता मुल्क बनाने का सपना संजोये रक्खा। इक्कीसवीं सदी के भारत का निर्माण उनके जीवन का प्रमुख लक्ष्य था। राजीव गांधी सौम्य एवं निर्मल स्वभाव के दूरदर्शी राजनेता थे और किसी भी निर्णय में जल्दबाजी नहीं करते थे और निर्णय लेने से पहले पार्टी के नेताओं से गहन सलाह मशविरा करते थे क्योंकि उनके दिल मे लोकतंत्र की भावना समाई हुई थी। उन्होंने जो सोचा और किया वो वो पुराने ढर्रे की राजनीति से एक दम अलग था।

राजीव गांधी एक ऐसे प्रधानमंत्री थे, जो जनता से सीधे जुड़े थे और एक ऐसे नेता के रूप में विख्यात थे जिनकी पहुंच देश के आम आदमी के ह्रदय तक थी। राजीव गांधी ने देश के गरीबों के उत्थान के लिए 1 अप्रैल 1989 को जवाहर रोजगार गारंटी योजना, इंदिरा आवास योजना और 10 लाख कुआं जैसी योजनाएं चालू कीं। लोग राजीव गांधी को देखने व सुनने के लिए टीवी देखा करते थे। एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसने उस दौर में पंजाब की यात्रा की, जब देश की खुफिया एजेंसियों ने ऐसा करने से उनको मना किया था। राजीव गांधी ने पंजाब समस्या के समाधान को प्राथमिकता देते हुए 24 जुलाई, 1985 को अकाली दल के अध्यक्ष संत हरचंद सिंह लोंगोवाल के साथ समझौता करके अशांत पंजाब में शांती और सौहार्द के वातावरण का निर्माण किया। राजीव गांधी वो इन्सान थे, जो जब यात्रा पर जाते थे तो तय रास्ते से अलग होकर गांवों में जाते और आम आदमी के घरों में जाना और हर व्यक्ति से हाथ मिलाना जैसे उनको अपनी मां और नाना से विरासत में मिला था। नवंबर 1982 में भारत में आयोजित सफल एशियाई खेलों के संचालन में उनकी महत्वपूर्ण एवं सराहनीय भूमिका थी। प्रधानमंत्री के रूप में राजीव गांधी अपनी माता इंदिरा गांधी से अधिक व्यावहारिक और उदार थे। लालफीताशाही पर लगाम लगाकर और नीतिगत बदलाव के जरिये उन्होंने निजी क्षेत्र को औद्योगिक और वाणिज्यिक गतिविधियों के विस्तार की अनुमति दी। कालांतर में यही दिशा 1990 के दशक में व्यापक आर्थिक उदारवाद और मुक्त व्यापार का आधार बनी जिसे नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह ने आगे बढ़ाया। वर्ष 1986 में मिजोरम में लालडेंगा के नेतृत्व में दशकों से चल रहे अलगाववादी हिंसक आंदोलन को मिजोरम समझौते के द्वारा खत्म कर राज्य में लोकतांत्रिक व्यवस्था की पुनर्स्थापना राजीव गांधी की बड़ी सफलता मानी जाती है। असम गणतन्त्र परिषद के साथ असम समझोता उन्होंने ही किया था, समझोते के बाद हुए चुनाव में विपक्ष की जीत और कांग्रेस की हार पर उन्होंने कहा कि भले ही उनकी पार्टी हार गई हो किन्तु प्रजातंत्र जीत गया है।

राजीव शालीनता की प्रतिमूर्ति थे उन्होंने कभी भी अपने किसी भी राजनेतिक विरोधि के प्रति अनर्गल एवं कर्कश शब्दों का प्रयोग नहीं किया। राजीव को जब मालुम पड़ा कि अटलजी गम्भीर रोग से ग्रस्त है तो उन्होंने उन्हें यू.एन.ओ. जाने वाले देलीएण्ण का सदस्य बना कर उनको अमेरिका भेजा और राजदूत को निर्देश दिय की उनका उपचार राजकीय खर्चे से करवायी जाये। राजीव के राजनेतिक विरोधी श्री अटलबिहारी वाजपेयीजी ने कहा था कि अगर वे आज जिन्दा है तो इसकी वजह राजीव ही है। लोग उनका भाषण सुनने के लिए घंटों इंतज़ार किया करते थे। राजीव ने राजनीति में भी नैतिकता को सर्वोच्च स्थान दिया, बोफोर्स कांड के आरोपी के बीच संसद भंग कर नये चुनाव करवाने का जज्बा उन्हीं में था। बोफोर्स कांड की कई वर्षों तक उनके विरोधीयों द्वारा करवाई गई जाँच में उनके विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं मिले थे, इस जाँच को करवाने में करदाताओं के करोडों रूपये बर्बाद हो गये। सीधे–सच्चे ईमानदार राजीव विरोधियों एवं मीडिया के झूठे कुत्सित प्रचार के शिकार बन गये। 1989 में हुये लोकसभा चुनाव में 195 सीटे जीतने और सबसे बड़े दल के नेता होने के बावजूद उन्होंने कहा कि जनादेश कांग्रेस के खिलाफ है इसलिए उन्होंने विरोधी पक्ष में बैठने का फैसला करके स्वस्थ लोकतान्त्रिक परम्परा स्थापित की थी। वहीं आज येनकेन प्रकारेण सत्ता प्राप्त का निर्लज्ज प्रदर्शन हो रहा है।

राजीव ने ही भारत को विश्व के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना सिखाया था। उन्होंने दक्षिण एशिया में शांति के प्रयास किए और इस देश में भाषा के आधार पर हो रहे बिखराव को भी रोका। इसी का परिणाम था कि राजीव गांधी ने श्रीलंका में शांति प्रयासों के लिए भारतीय सैन्य टुकड़ियों को भेजा लेकिन इसके नतीजे में वे खुद लिट्टे के निशाने पर आ गए और उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। 21 मई, 1991 को राजीव गांधी एक रैली को संबोधित करने के लिए चेन्नई से 30 किलोमीटर दूर श्रीपेरंबुदूर में पहुंचे। इन्हीं में एक लिट्टे सदस्य धनु भी थी। राजीव गांधी के आसपास काफी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद धनु ने गाँधी के पैर छूये और एकाएक बम फट गया जिसको धनु ने जो कि उसे अपने कपड़ों में छुपाया हुआ था। राजीव गाँधी समेत 17 अन्य लोग भी काल के ग्रास बन गये। इसी कारण से 21 मई, राजीव गांधी बलिदान दिवस को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। राजीव भी अपनी माँ इंदिराजी के जैसे आतंकवाद के शिकार बनें। उन्हें 'भारत रत्न' से भी नवाजा गया था। कुछ लोग ज़मीन पर राज करते हैं और कुछ लोग दिलों पर। राजीव ने लोगों के दिलों में अपने को बसाया, स्वर्गीय राजीव गांधी एक ऐसे इंसान थे, जिन्होंने ज़मीन पर ही नहीं, किन्तु जनमानस के ह्रदय पर भी राज किया। समूचा राष्ट्र राजीव गांधी को उनकी 34वीं पुन्य तिथी पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता है।

–डॉ. जे. के. गर्ग,
पूर्व संयुक्त निदेशक कालेज शिक्षा जयपुर

अमेरिका अपनी आंखों से झूठ की पट्टी खोले : सच्चाई कबूल कर पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करे

बाल मुकुन्द ओझा

भारत एक शांतिप्रिय देश है। भारत ने कभी किसी देश पर चलाकर हमला नहीं बोला और न ही किसी की जमीन हड़पी। हां, यह जरूर है किसी ने भारत के साथ छेड़छाड़ का दु:साहस किया तो उसे छोड़ा भी नहीं। यहाँ हम बात कर रहे है ऑपरेशन सिन्दूर की। भारत पक्ष रखने के लिए देश के सांसद शीघ्र दुनिया का दौरा कर वास्तविकता से अवगत कराएँगे।

यहां सवाल यह पैदा होता है क्या दुनिया ने आंखे बंद कर रखी है कि उनकी आंखें खोलने या यूँ कहें उन्हें कुम्भकर्णी निंद्रा से जगाने हम जा रहे है। क्या दुनिया लोकतंत्र और छद्म लोकतंत्र को नहीं पहचानती। खैर यह विषय बहुत लम्बा है। अमेरिका स्वयं को सुपर लोकतान्त्रिक देश कहलवाने में बड़ा गर्व महसूस करता है। मगर आँखों पर पट्टी बांधकर अपना निर्णय दूसरे देशों पर थोपने में तनिक भी देर नहीं करता। वह इस बीच यह भी नहीं देखता कि कौन सही और कौन गलत है। यहाँ उसका स्वार्थ और व्यापर आड़े आ जाता है। अमेरिका सहित दुनियाभर के देशों की आंखें खोलने और सच्चाई से रूबरू कराने हमें जाना पड़ रहा है। पाकिस्तान की कुछ सच्चाई पर से हम भी इस लेख के माध्यम से पर्दा उठाने जा रहे हैं।

बता रहे हैं लोकतंत्र और छद्म लोकतंत्र की वास्तविकता। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज़फायर का दावा कराने वाला अमेरिका स्वयं को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतान्त्रिक देश कहता है, मगर आश्चर्य है उसे लोकतंत्र और छद्म लोकतंत्र में कोई फर्क नज़र नहीं आता। पाकिस्तान की अंदरूनी स्थिति से समूची दुनिया वाकिफ है मगर सच का साथ देने कोई तैयार नहीं है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप स्वयं को हमारे प्रधानमंत्री मोदी का दोस्त कहता है मगर संकट में अपने दोस्त की सहायता के लिए आगे आकर अपनी दोस्ती का फ़र्ज़ नहीं निभाता। अमेरिका को चाहिए तो यह था की वह सच्चाई का साथ दे और पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित कर तुरंत व्यापार और आर्थिक सहायता देना बंद करें।

आइये, आज मौका है हम अपने पाठकों को एक बार फिर पाक की सच्चाई से रूबरू कराएं। भारत से अलग होने के बाद पाकिस्तान ने भी लोकतंत्र का रास्ता चुना था। मगर शीघ्र ही लोकतंत्र की यह नकाब उतर गई। पाक में लोकतंत्र के पीछे सेना खड़ी हो गई और देखते देखते पाक पर छद्म रूप से सेना काबिज हो गई। कहा जाता है पाक पर वही पार्टी शासन करेगी जिसे सेना का समर्थन मिलेगा। अन्यथा सेना खुद शासन की कमान सँभालते देर नहीं करेगी। यह कोई कल्पित कहानी नहीं है अपितु पाक की असलियत है। कहते है पाक के शासक का पद काँटों के ताज से कम नहीं है। उसे कब सत्ताच्युत होकर जेल जाना पड़ेगा यह किसी को मालूम नहीं है। इससे पहले सुहरावर्दी से लेकर इमरान तक 5 निर्वाचित नेता गिरफ्तार हो चुके हैं। एक को फांसी दी गई थी। पाकिस्तान अपने पूर्व शासकों को जेल भेजने के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है।

पाक के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान सेना की मदद से पाक पर काबिज हुए थे। जितने दिन उन्हें सेना की छत्रछाया मिली वे निर्बाद रूप से राज करतेरहे फिर जैसे ही उन्होंने अपनी स्वतंत्र आवाज बुलंद करनी चाही तो उनसे जल्द ही शासन से बेदखल होना पड़ा। बेदखल होने के बाद इमरान पर कई मुक़दमे कायम किये गए और अन्तोगत्वा अपने पूर्ववर्ती शासकों की तरह जेल के सींकचों में बंद होना पड़ा। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान तोशखाना केस में दोषी करार दिए गए। उन्हें तीन साल की सजा हुई। हुसैन सुहरावर्दी, जुल्फिकार अली भुट्टो, बेनजीर, परवेज मुशर्रफ ,नवाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी आदि की कहानी ज्यादा पुरानी नहीं है जिन्होंने पहले निर्बाद रूप से पाक पर शासन किया और फिर जेल जाना पड़ा। 1956 से 1957 तक पाकिस्तान के पांचवें प्रधानमंत्री हुसैन सुहरावर्दी को 1962 में गिरफ्तार किया गया था, जब उन्होंने 1958 में जनरल अयूब खान के तख्तापलट का समर्थन करने से मना कर दिया था। हुसैन को 1962 में पाकिस्तान सुरक्षा अधिनियम 1952 के तहत जेल में डाल दिया गया। इसके साथ ही उन्हें पाकिस्तान में राजनीति में भाग लेने से भी प्रतिबंधित कर दिया गया था। इसी तरह जुल्फिकार अली भुट्टो ने 1971 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में जनरल याह्या खान की जगह ली थी।

उन्होंने 1973–1977 तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। उनके शासनकाल में पाकिस्तान ने भारत के साथ शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, उस समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थीं। लेकिन जुलाई 1977 में एक सैन्य तख्तापलट के माध्यम से जनरल जिया–उल–हक ने सत्ता हड़प ली। भुट्टो को एक राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी की हत्या की साजिश के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था।

सितंबर 1977 में रिहा तो किया गया लेकिन फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में उन्हें अप्रैल 1979 में सेंट्रल जेल रावलपिंडी में फांसी दे दी गई। शाहिद खाकानअब्बासी, जिन्होंने 2017 से 2018 तक प्रधानमंत्री के रूप में नवाज शरीफ की जगह ली थी, उनको भी कथित भ्रष्टाचार के लिए जनवरी 2019 में 12–सदस्यीय राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) की टीम ने गिरफ्तार किया था। 2001 से 2007 तक पाक के प्रधानमंत्री परवेज मुशर्रफ को भी सत्ताच्युत कर देश से निर्वासित गया था। पाकिस्तान के पूर्व तानाशाह परवेज मुशर्रफ का संयुक्त अरब अमीरात में निधन हो गया। मुशर्रफ के खिलाफ पाकिस्तान में कई मुकदमें चल रहे थे और इसी वजह से वह दुबई में निर्वासन में जी रहे थे। इससे पहले पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ भी कुछ ऐसा ही हश्र हुआ था। अप्रैल 2018 में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को आजीवन सार्वजनिक पद धारण करने से अयोग्य घोषित कर दिया था।

1988 और 1990 के बीच 2 बार और फिर 1993 से 1996 तक पीएम बनने से पहले जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी बेनजीर भुट्टो को कई गिरफ्तारियों और जेल में कई शर्तों का सामना भी करना पड़ा था। 2007 में एक आत्मघाती हमलावर ने बेनजीर की हत्या कर दी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह हत्या पाकिस